



76

CF-15/9

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

12001 पुनरीक्षण

- 1- गंधर्वसिंह
- 2- रतनसिंह
- 3- गोहर सिंह
- 4- रावेल

पुत्राणा बाबूसिंह

- 5- लावलाबाई पुत्री बाबूसिंह
- 6- मुहलीबाई पुत्री बाबूसिंह
- 7- महिला सावित्रीबाई विधवा बाबूसिंह
- 8- सुनीताबाई अर्धरक्त पुत्री बाबूसिंह

संभागात्त मर्त सावित्रीबाई
समी-गुजर आरु निवासीगण ग्राम रिठौरा
वा पुरा तल्लील अम्बाह जिला मुरैना

आवेदकणा

विल्ल

1- कदिलाश पुत्र रामचन्द्र

मृत- 2- मुसो गनेली विधवा रामचन्द्र

मृत- 3- मुसो बेता पुत्री रामचन्द्र

4- लभा पुत्री रामचन्द्र

मृत- 5- सीता पुत्र मुन्दन

6- बासुदेव पुत्र मुरली

Ex.P- 7- महिला सोमवती पुत्री मुरली

8- महिला अंबुरी } पुत्री सोमवती
9- महिला कटौरि }

Ex.P- 10- महिला फूलवती विधवा मुरली

11- सीता पुत्र मोदुडा

Ex.P- 12- रामदीन पुत्र रामदयाल

Ex.P- 13- देवीराम पुत्र जान्नाथ

R-730-11/2001
मि. एस. के. वाजपेयी
मरा काज दि. 23/4/2001 को प्रस्तुत।
आवेदक
23 APR 2001

23/4/2001

Handwritten initials

Ex.P. — 14- लालाराम } पुत्राणा रमचन्दा
 15- हविराम }
 16- भेवाराम } पुत्राणा मगवन्त
 17- रतीराम }
 18- दर्शना } पुत्राणा गेंदा
 19- लक्ष्मा }
 20- दुर्जनसिंह }
 Ex.P. — सभी कुशवाह, निवासीगण रिठौरा का पुरा
 तहसील अम्बाह जिला मुरैना -- अनावेदकगण

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्र०प्र० 2241 86-87 अपील
 में पारित आदेश दिनांक 14-2-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण
 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत
 करते हैं :-


- (1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध तथा प्रकरण
 के अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।
- (2) यह कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के सकारण तथा वैध
 आदेश को भन्माने आधारों पर निरस्त करने में अपने विचाराधिकार
 का उचित प्रयोग नहीं किया है ।
- (3) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदकगण के पूर्वाधिकारी का
 वास्तविक आधिपत्य था तथा वर्तमान में आवेदकगण का आधिपत्य
 निरन्तर चला आ रहा है यह तथ्य प्रकरण के अभिलेख से सिद्ध है तथा
 अविवादित है । यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण का आधिपत्य
 हटाने के लिये आज तक कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी है ।
 ऐसे आधिपत्य के आधार पर आवेदकगण को संहिता की धारा 169
 के अन्तर्गत भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत हो जाते हैं ।
- (4) यह कि अपर आयुक्त ने जिन न्यायदृष्टांतों को आधार बनाकर विवादित
 आदेश पारित किया है वे इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे

B
 JSC

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.730-IV/01..... जिला बुनिया.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>8-8-16</p>	<p>डाक्टर डा. (क) शर्मा के राजपेशी उपर। डाक्टर डा. (क) द्वारा बनाए गए 2, 3, 5, 18 एवं 19 के पारिभाषिक आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश का पालन पूर्व आदेश पत्र का दिनांक 19-8-16 के फलस्वरूप न बड़े के कारण प्रस्ताव इसी लेख पर समाप्त किया गया है। डा. (क) द्वारा बनाए गए आदेशों पर वापिस किया जाये। प्रस्ताव वापिस दिवाही है।</p>	

R
ASL